Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

ORDER

S.B. Criminal Miscellaneous Bail No. 2277 / 2018

Yogendra Singh Meena S/o Shriram Meena, R/o Plot No. B-44, Saraswati Nagar, Behind North Western Railway Headquarter, Malviya Nagar, Jaipur. (at Present Confined in Central Jail Jaipur)

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

आदेश दिनांकः 23.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री एम के कौशिक तथा श्री गजेन्द्र सिंह कटेला, अधिवक्तागण– प्रार्थी की ओर से।
श्री अश्विनी कुमार शर्मा, विशिष्ठ लोक अभियोजक वास्ते सी.बी.आई.।

अभियुक्त–प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 439 के अधीन **पुलिस थाना–सी.बी.आई., जयपुर** में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RCJAI 2016A 0014 अपराध अन्तर्गत धारा 120बी, 409, 420 भा.दं.सं. तथा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी इस प्रकरण में दिनांक 02जनवरी, 2018 से अभिरक्षा में है। सह–अभियुक्तगण जीतेन्द्र सिंह झाला तथा राजेन्द्र सिंघल के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी से अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। सी.बी.आई. ने अनुसंधान के दौरान प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि आरोप पत्र पेश होने के बाद न्यायालय के समक्ष समर्पण किये जाने बाबत् नोटिस दिया, जिसकी अनुपालना में प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। जहां पर प्रार्थी के जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाकर उसे अभिरक्षा में लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जबकि सी.बी.आई. ने अनुसंधान

के दौरान प्रार्थी की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी, उस परिस्थिति में अब प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इस संबंध में दाताराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य एस.एल.पी. (क्रिमि0) 151/2018 (क्रिमिनल अपील नम्बर 227/2018) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिनांक 06फरवरी, 2018 को समान परिस्थितियों में अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किये हैं, अतः प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

सी.बी.आई. के रिटेनर अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदनों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

दाताराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

> "In our opinion, it is not necessary to go into the correctness or otherwise of the allegations made against the appellant. This is a matter that will, of course, be dealt with by the trial judge. However, what is important, as far as we are concerned, is that during the entire period of investigations which appear to have been spread over seven months, the appellant was not arrested by the investigating officer. Even when the appellant apprehended that he might be arrested after the charge sheet was filed against him, he was not arrested for a considerable period of time. When he approached the Allahabad High Court for quashing the FIR lodged against him, he was granted two months time to appear before the trial judge. All these facts are an indication that there was no apprehension that the appellant would abscond or would hamper the trial in any manner. That being the case, the trial judge, as well as the High Court ought to have judiciously exercised discretion and granted bail to the appellant. It is nobody's case that the appellant is a shady character and there is nothing on record to indicate that the appellant had

earlier been involved in any unacceptable activity, let alone any alleged illegal activity.

In our view, taking all these and other factors into consideration, it would be appropriate if the appellant is granted bail on conditions that may be reasonably fixed by the trial judge. We order accordingly.”

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीगण को अनुसंधान के दौरान सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया गया हो, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है, बल्कि अनुसंधान में प्रार्थीगण द्वारा सी.बी.आई. को पूर्ण सहयोग किया जाना बताया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी के विरूद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण अथवा अनैतिक कार्यों में शामिल होने का आरोप नहीं है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किये जा चुके हैं।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री को मध्यनजर रखते हुए, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त–प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः अभियुक्त–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त–प्रार्थी योगेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्रीराम मीणा द्वारा रूपये **2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र तथा रूपये **1,00,000/– – 1,00,000/– (एक–एक लाख रूपये मात्र)** रूपये की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे, तो उसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या** RCJAI 2016A 0014 **पुलिस थाना–सी.बी.आई, जयपुर** से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/81